3x10

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः–3310–औ0सं0 / 2016–4ए / 83 दिनाँक : 16 अगस्त, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमाँचल,
वितरण निगम लि0 / केस्को,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / पारेषण,विद्युत
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

<u>विषयः–</u> <u>उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ द्वारा चलाये जा रहे चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 22.08..2016 से 24.08.2016 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 03 दिन का कार्य–बहिष्कार तथा दिनांक 29.08.2016 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ ने अपने पत्र सं0–ए0एस0–प्रबन्धन / 2013–16 / 247 दिनांक 20.07.2016 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 22.08..2016 से 24.08.2016 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 03 दिन का कार्य–बहिष्कार तथा दिनांक 29.08.2016 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस दी हैं।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–5 / 2016 / 1094 / 24–पी–2–16–1(121) / 04 दिनांक 29.06.2016 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–2766–औ0सं0 / 2016–159–ए0 / 67 दिनाँक 04.07.2016 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ प्रस्तावित उक्त चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 22.08..2016 से 24.08.2016 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 03 दिन का कार्य–बहिष्कार तथा दिनांक 29.08.2016 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जायें।

यह भी अनुरोध है कि सम्भावित कार्य बहिष्कार की अवधि में अधिकारियों / कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 22.08..2016 से 24.08.2016 तक सम्पूर्ण प्रदेश में 03 दिन का कार्य–बहिष्कार तथा दिनांक 29.08.2016 से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में प्रतिभाग लेने हेतु अनुपस्थित होने वाले अभियन्ताओं के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0 / 17 / पाकालि / 2001–3–ए0 / 79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों–मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्याः–3310–औ0सं0/2016, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
5. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप म हाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **WWW.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
9. कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

[illegible] प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता [illegible]

[illegible] विद्युत परिषद [illegible] संख्या 1526—[illegible]
[illegible] 12.0[illegible] के अन्तर्गत प्राप्त पंजीकरण संख्या [illegible]
[illegible] अभियन्ता—17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ—226001
[illegible] 2206[illegible]17, 4079[illegible], मो0नं0 94[illegible]90[illegible]60([illegible]) [illegible]

पत्रांक: ए एस — / प्रबन्धन / 2013—16 / 247 दिनांक 20.07.201[illegible]

[illegible]

अध्यक्ष,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0,
लखनऊ।

विषय— दिनांक 20.06.2016 की आन्दोलन की नोटिस की तारतम्यता में अग्रेतर आन्दोलनात्मक कार्यक्रम की सूचना ।

महोदय,

कृपया संघ के पत्र संख्या—ए एस— / प्रबन्धन / 2013—16 / 243 दिनांक 20.06.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अभियन्ता संवर्ग की दस सूत्रीय न्यायोचित मांगों पर सार्थक आदेश जारी न किये जाने पर दिनांक 08.07.2016 से लोकतान्त्रिक तरीके से आन्दोलन किये जाने की नोटिस [illegible] थी, जिसके अन्तर्गत दिनांक 20.07.2016 को 'लखनऊ चलो' महारैली में अगले चरण के आन्दोलन की घोषणा किये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया था। दिनांक 20.07.2016 तक कारपोरेशन [illegible] अभियन्ताओं की दस सूत्रीय मांगों पर कोई आदेश जारी नहीं किये गये, जिससे अभियन्ताओं [illegible] आक्रोश और बढ़ गया है।

दिनांक 20.06.2016 की नोटिस की तारतम्यता में अग्रेतर निम्नवत आन्दोलनात्मक कार्यक्रम [illegible] चलाये जाने का निर्णय लिया गया है—

"आन्दोलनात्मक कार्यक्रम"

ओबरा एवं अनपरा ताप विद्युत गृहों पर सत्याग्रह	दिनांक 02.08.2016, दिन मंगलवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय वाराणसी पर सत्याग्रह	दिनांक 03.08.2016 दिन बुधवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]
केस्को मुख्यालय, कानपुर एवं पनकी ताप विद्युत गृह पर सत्याग्रह	दिनांक 05.08.2016, दिन शुक्रवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय आगरा एवं हरदुआगंज ताप विद्युत गृह पर सत्याग्रह	दिनांक 08.08.2016 दिन सोमवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]
पारीछा ताप विद्युत गृह पर सत्याग्रह	दिनांक 12.08.2016, दिन शुक्रवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय मेरठ पर सत्याग्रह	दिनांक 16.08.2016 दिन मंगलवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय लखनऊ पर सत्याग्रह	दिनांक 20.08.2016 दिन शनिवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]
	दिनांक 22.08.2016 दिन सोमवार	
[illegible] प्रदेश में एक दिन का कार्य बहिष्कार	दिनांक 23.08.2016 दिन मंगलवार	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]
	दिनांक 24.08.2016 दिन बुधवार	
[illegible] प्रदेश में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार	दिनांक 29.08.2016 दिन सोमवार से	प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे [illegible]

अभियन्ताओं की दस सूत्रीय मांगें आपके ध्यानाकर्षण हेतु पुनः निम्नवत् दी जा रही हैं–

1. दिनांक 18.02.2009 के पश्चात् नियुक्त/प्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं को प्रारम्भिक 05 वेतन वृद्धि एवं ग्रेड–प 6600 प्रदान की जाय।
2. बिजली अधिकारियों को विभागीय वाहनों पर "नीली बत्ती" के प्रयोग की अनुमति दी जाये।
3. ऊर्जा निगमों में नये पदों के सृजन की स्वीकृति तत्काल दी जाय।
4. उत्पादन निगम लि0 में वरिष्ठता का नियम पा0का0लि0 की भांति किया जाये।
5. सभी विभागीय कार्मिकों के लिए एल0एम0वी0–10 की सुविधा पूर्ववत रखे जाने के आदेश जारी किये जायें।
6. जिला प्रशासन द्वारा बुलाई जा रही बैठकों में अभियन्ताओं के उपस्थित होने सम्बन्धी प्रोटोकोल का पालन किया जाये।
7. गोरखपुर प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध अतिशीघ्र कार्यवाही की जाये।
8. 01.01.1996 से 14.02.2007 तक अधीक्षण अभियन्ता का वेतनमान सम्बन्धी विसंगतियां दूर की जाये।
9. ए0सी0पी0 सम्बन्धी आदेश 835 दिनांक 08.09.2011 की विसंगतियां दूर की जाय।
10. अभियन्ताओं पर हो रहे हमलों के दृष्टिगत "इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट" बनाया जाये।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जब तक उपरोक्त मांगों के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश जारी नहीं हो जाते हैं, आन्दोलन जारी रखा जायेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी।

सादर।

भवदीय,

(दिनेश चन्द्र दीक्षित)
महासचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 ऊर्जा राज्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0ज0वि0नि0लि0, लखनऊ।
7. निदेशक (का0, प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
11. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
12. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
13. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।

(दिनेश चन्द्र दीक्षित)
महासचिव